

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (32)आकाशि/नि.सं./2014/ 623

दिनांक:-

19.9.2017

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2017-18, 2018-19 (दो वर्षोंके लिए एनातक रत्तर पर पूर्वसंचालित संकाय/विधय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत कि जाती है।

महाविद्यालय का नाम एवं पता	राज्यव्यवस्थालय	संबलित विषय/संकाय
मण्डा कॉलेज, एन.एच. 11, रायसर, बीकानेर।	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित एनातक रत्तर पर— कला संकाय— हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, लोकप्रशासन, भूगोल, अर्थशास्त्र। वाणिज्य संकाय— एबीएसटी, इंपएफएम, व्यावसायिक प्रशासन। विज्ञान संकाय— भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

- संरथा सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संरथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुग्रहन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विधयवार सीटों का आवेटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित विद्या जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संख्या रीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संरथा को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् लीन रात्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की गूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तथ मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संरथा द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अग्राह में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित रक्षकम रक्षानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- संरथा द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुग्रहन का दायित्व संरथा का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अग्निश्वेत उपलब्ध करायेगा।
- संरथा द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि की प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संरथा सांख्यिकी पुरितका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संरथा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संरथा महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- माना रासाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्वात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्ता, 19/9
कॉलेज शिक्षा, अजमेर, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट संविधान, भा0 उच्च शिक्षा मंत्री भारत, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संविधान, अतिरिक्त मुख्य संविधान, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- गिला कलेक्टर, बीकानेर।
- कुल संविधान, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- संविधान संरथा/गाठविद्यालय।
- सांख्यिकी शास्त्र, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

19/9
संयुक्त-निदेशक (एन0सी0)
कॉलेज शिक्षा, अजमेर, जयपुर